

प्रारूप ख

(रेखिये नियम ६ (२) और (३)

कार्यालय विहित प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी, खेतडी
जिला झुन्झुनू (राज.)

क्रमांक / राजस्व /

दिनांक

- संपरिवर्तन आदेश :-

श्री श्याम पिंडातिकेन्द्रन समिति इडलोद जीर्णे सुषुप्ति संघिष्ठ ईश्वर सिंह
झु नेंदूराम जाट निवासी कुडाडवात तह-बुडाना

तहसील बुडाना के आवरण पर उसका खातेदार अधिकृत में धारित कृषि भूमि का राजस्वान मु-राजस्व
(ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन) नियम 1992 के नियम ६ (२) / ६ (३) के अधीन
कृषि अकृषि प्रयोजन के लिए उसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है। यिसकी विशिष्टता नीचे दी गयी है:-
आवेदन खातेदार अधिकारी का श्री श्याम पिंडातिकेन्द्रन समिति इडलोद जीर्णे सुषुप्ति संघिष्ठ ईश्वर सिंह झु नेंदूराम जाट निवासी
माल पिता / पति एवं नाम सातत सुषुप्ति संघिष्ठ ईश्वर सिंह झु नेंदूराम जाट निवासी
मूल पता।

2. वय आवेदक अनुसूचित जाति, जन जाति का संदर्भ
3. संपरिवर्तन भूमि का वीरा

तहसील का नाम

पद्मरी कला / पद्मरी कला

(ख) भूमि का खसरा नम्बर और प्रत्यक्ष
खसरा सं का संकेतन (हवटर में)

तहसील बुडाना

1639/3 रकड़ा ०.११ है.येकान ।।००
वर्ग मीटर

(ग) प्रत्यक्ष खसरा नम्बर का संकेतन का
उपरिलिपि करते हुए संपरिवर्तन

संकेतन हवटर या वर्ग मीटर में

टिप्पणी - अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि को चाहते हुए राजस्व नक्शा का स्थान को सम्यक रूप से
संत्यापित प्रति संलग्न कर।

4. संपरिवर्तन का प्रयोजन।

पाणिज्यक प्रयोजनार्थ [महापिंडातिक]

5. संरेख प्राप्तियां की दर

16,17

वर्ग 6.6.06

6. नालान नी संख्या तथा नालान की

जमी फराई गई प्राप्तियां की राशि।

8,000/-

8,000/-

16,000/-

रुपये

7. नालान न तथा ताराय संहित प्राप्ति

गई जमी तो जमी नालान की राशि।

१०. यात्रान की संख्या तथा तारीख नामित व्यक्ति
यदि कोई हो तो जाना कराई गई राहे।
११. वया आदेश नियमिताकरण के लिए नियम १२
के अधीन जारी किया गया है।
१२. अन्य विविधता यदि कोई हो -
१३. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्ययनीन होगा -
- (१) उपर्युक्त अवृष्टि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की मूर्च अनुड्डा इस किये विना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
 - (२) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तरीख से २ वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन लघु नहराना गता रहा तो विना किया जायेगा।
 - (३) नियम ४ में तथा तभीत भूमि का उपयोग अवृष्टि प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
 - (४) लालोप्रयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि के विभीत भाग का अन्य किसी अवृष्टि प्रयोजन के अन्य
१४. लड़के सीमांगो के यह ग्राम के राजस्थान क्षेत्र में पथादिकृत ग्रामीण रास्ते २० मीटर
के भीतर निम्नरूप काय नहीं किया जायेगा।
- (५) कॉलीज बिल्डिंग के पारिदूर में ५० छड़ा/लीटर कुकुर के रुक और
विहित प्राधिकारी द्वारा संशोधन करनामे जोन की शर्त पर संपरिवर्तन आदेश जारी किया जाये है।
- जिला शुद्धि विभाग
उपर्युक्त अधिकारी
खेती

क्रमांक/राजस्थ/ 1047-50

दिनांक 13-6-06

प्रतिलिपि

१. श्रीमान वलेष्टर साहब विला बालवाला नायकर लू. शुद्धि को शुभनाम प्रविठ है।

२. श्री राजराय लखाकार तहसील खतड़ा / पुराना।

३. श्री पटवारी डल्लन ब्रवकृष्ण पर्यारी कला।

४. पटवारी डल्लन पर्यारी कला।

५. आवेदक श्री श्यामदेवा निकेतन तभीत इंडिया जीर्ये स्थूक्त तीर्थिव झंघर तेंडु
फू जैदूराम जिवातो कुहाड़वात तह. बुद्धाना जिला दुङ्डून । राज।

प्रतागत रागिलि खेती/मुदाना


उपर्युक्त अधिकारी
चुप्तपुत्राधिकारी खेती
विला दुङ्डून (राजस्थान)

प्रालय ख

(नियम 6 (2) और (3)

कार्यालय विहित प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी
(ज़िला झुन्झुनू (राज.)

क्रमांक / राजस्व / 1036-4

दिनांक 24/6/15

— प्रिवर्तन आदेश :—

श्री श्री इवाम पियानिलन तीमति डैलोद जीरये स्फुक्त संघिव इच्चर तिंह
मुम गेहुराम जाट निवासी कुहाड़ीवाल तह-बुहाना

तहसील बुहाना का आधिकार विभाग विभागीय अधिकार में घारित कृषि भूमि का राजस्व या राजस्व
(ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन के लिए सपरिवेतन) नियम 1982 के नियम 8 (2)/8 (3) के अधीन
कृषि अकृषि प्रयोजन के लिए उसके द्वारा नियमित लोग जाता है, जिसकी विशेषता नियम 8 (3) की गयी है—

1 आवेदन खातेदार अभिवासी का

नाम, पिता / पति के नाम सहित सफुला संघिव इच्चर तिंह मुम गेहुराम जाट निवासी
पूरा पता।

2 क्या आवेदक अनुसूचित जाति जन जाति

3 सपरिवेतन भूमि का विवर

(अ) भूमि का खसरा नम्बर और पर्याय,

खसरा संकाल क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(ब) प्रत्येक खसरा नम्बर का क्षेत्रफल का

उपदरित करते हुए सपरिवेतन

क्षेत्रफल हेक्टर या वर्ग मीटर म

दिप्पणी - आकृषि प्रयोजन के लिये सपरिवेतन

सत्यापित प्रति सत्तरन कर।

4 सपरिवेतन का प्रयोग

5 सदैय प्रानियम की तर

6 ग्रामान की संख्या वाला निवासी

ग्राम बसाई गई प्रानियम की राजि

7 चालान व तथा तारीख महित प्राप्ति

ग्राम बसाई गई प्रानियम की राजि

प्लेटो क्ला/प्लेटी क्ला

तहसील बुहाना

1639/4 रक्का 0.25 है 2500
वर्ग मीटर

प्राणियता प्रयोजनार्थ मुद्राओं द्वारा

संख्या 118-119

दिन 16.6.15

18,000--18,000= 36,000/- रुपये

8. यालन का सख्त तथा गोरख साहस व्याज
यदि लोई हो तो जमा कराइ मझे राख।
9. अब्दी आदेश नियमिताकरण के लिए नियम 12
के अधीन जारी किया गया है।
10. अन्य विशिष्टता यदि लोई हो -
11. उपर्युक्त संघरितन आदेश नियमिताकरण शर्तों के अन्तर्गत होगा -
- (1) उपर्युक्त अकृषि प्रयोजन के लिए संघरितन भूमि पर उपयोग किसित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति द्वारा किये गिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा।
 - (2) यदि आवेदक इस आदेश के बारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर संघरितन प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने पर विकल रखा हो तो अनुमा प्रत्यक्षत करली जावेगी और आवेदक साथ जागी उपयोग का प्राप्तिकरण कर सकता है।
 - (3) नियम 4 में तथा तस्वीर भूमि का उपयोग अनुमति द्वारा के लिए नहीं किया जाएगा।
 - (4) ताकौप्रयोगी प्रयोजन के लिए उपयोग भूमि किसी भाग का अन्य किसी अकृषि प्रयोजन के लिए प्राधिकारी से नियमित भूमि मन्त्र उन्नति जाम किया जानवी किया जाएगा।
- 15] सुन्दरी सीमाव्यो वे यह ग्राम के उपर्युक्त न करो मैं उथादीपति ग्रामीण राज्य 20 प्रोटर के भीतर नियमणि लाए नहीं किया जायगा।

किसित प्राधिकारी का पात्र

SD
उपर्युक्त प्राधिकारी
खाली
गिला झुजुन् (राजस्थान)

क्रमांक/राजस्व/ 1036-47

दिनांक 24-6-15

प्रतिलिपि

1. श्रीमान कर्नेलियर संहार जिला वाराणसी नवायालम नामक व्यक्ति की पूर्णता प्रतिष्ठा है।
2. श्री राजस्व लेखाकार तालीम द्वारा दस्तावेज़ दिया गया।
3. श्री पटवारी इल्लवा पट्टेरी कला
4. प्रशासक ग्राम पंचायत पट्टेरी कला प्रधारत गामिति खताडी/भूमामा
5. आवेदक श्री श्री इतामित्वा निकेतन सोन त हुड्डोद जीर्ये स्कूला ताचिव झावा
सुन गूडूराम गोवाली वुडाड त तह बुडाना गिला हुड्डुन् १ राज.

उपर्युक्त प्राधिकारी
उपर्युक्त संघरितन का प्रत्यक्ष
गिला झुजुन् (राजस्थान)